न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर) :–

पीठासीन अधिकारी :– श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व वाद संख्या :– 10 / 2021

उनवान

गोविन्दलाल पुत्र रामसुख जाति भांबी निवासी दिलवाडा

— प्रार्थीगण :– जरियें अधिवक्ता कैलाश बीजावत

वनाम

1. तुलसीराम पुत्र हरदेव
2. परमानन्द पुत्र सुगना
3. भागचन्द पुत्र रामबक्श समस्त जाति रेगर निवासी दिलवाडी
4. प्रहलाद पुत्र रडमा जाति गुर्जर निवासी दिलवाडी
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद

— अप्रार्थीगण :–1 से 4 अनुपस्थित,
5 जरिये राज0 पेरोकार

6. कमला पुत्री रामसुख
7. गुमान पुत्र गोपी
8. पांची पत्नी हंगामा
9. भंवरलाल पुत्र हंगामा
10. बरजी पत्नी लखमा
11. महेन्द्र पुत्र लखमा
12. शिवराज पुत्र लखमा
13 शैतान पुत्र गोपी
14 शान्ति पत्नी गोपी
15 सीता पत्नी रामसुख
16 सोनी पुत्री गोपी जाति भांबी निवासी दिलवाडा

— प्रफॉर्मा अप्रार्थीगण :–6 से 16 अनुपस्थित.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गज धारा 128 भू0 राजस्व अधिनियम 1956

–: आदेश :– दिंनाक :– 30.6.22

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:40:09 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन कि [illegible] ग्रस्त आराजीयात ग्राम दिलवाडा में स्थित है जिसका खाता संख्या 40 [illegible] व प्रार्थी की पुश्तैनी खातेदारी की कृषि भूमि है। जिस [illegible] व अप्रार्थी [illegible] 6 से 16 का निर्बाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या [illegible] अधिकार नहीं होते हुए प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलदाजी कर रहे है। वादग्रस्त आराजी [illegible] वाडा व दिलवाडी की सीमा के समीप होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद होते है। अतः प्रार्थी द्वारा भूमि की सुरक्षा के लिये भूमि का सीमाकन कर पत्थरगढी कराने के लिए निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं 1 से 4 व 6 से 16 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। राज0 पेरोकार ने जवाब में जाहिर किया की प्रार्थी खाता संख्या 402 किंता 12 रकबा 1.72 है0 का सीमाज्ञान चाहता है। पत्थरगढी पडौसी खातेदार की उपस्थिति में करवाया जाना उचित है।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान कथन किया की वादग्रस्त आराजीयात ग्राम दिलवाडा में स्थित है जिसका खाता संख्या 402/361 किंता 12 रकबा 1.72 है0 दर्ज है व प्रार्थी की पुश्तैनी खातेदारी की कृषि भूमि है। जिस पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 6 से 16 का निर्बाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 का कोई हक व अधिकार नहीं होते हुए प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी कर रहे है। प्रार्थी वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की सुरक्षा के लिये पत्थर गढाई कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्धान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया

प्रार्थना पत्र में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी 402/361 किंता 12 रकबा 1.72 है0 ग्राम दिलवाडा में स्थित है। वादग्रस्त आराजियात प्रार्थी एवं प्रफॉर्मा अप्रार्थीगण की खातेदारी काश्तकारी की आराजियात है जो वर्तमान आधार जमाबन्दी संवत 2071–74 से पूर्ण रूप से स्पष्ट है। अप्रार्थीगण ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र के तथ्यों का खण्डन भी नही किया है। सीमांकन करते हुए पत्थरगढी के आदेश प्रसारित किये जाते है तो अप्रार्थीगणो के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा।

अतः प्रार्थना पत्र इस आशय से स्वीकार किया जाता है कि तहसीलदार नसीराबाद सभी पडौसी खातेदारों को सुनवाई का अवसर देते हुए पडौसी खातेदारों की विधिक उपस्थिति में ग्राम दिलवाडा में स्थित वादग्रस्त आराजीयात जिसका खाता संख्या 402/361 किंता 12 रकबा 1.72 पर सीमांकन कर पत्थरगढी की कार्यवाही करावें। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:40:09 IST
Reason: SelfAttested